"मै0 एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग प्रा.लि. (देवपुरा–1)" कीजन सुनवाई विवरण

दिनांक 21.06.2022 समय 11.30 प्रातः

जनसुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा, श्री ओ.पी. बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर का स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जनसुनवाई के संबन्ध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा की यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.05.2022 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 20.05.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई **"मै0 एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग प्रा.लि. (देवपुरा–1)"** द्वारा प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 01/1992 लीज क्षेत्र 70.40 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1290106 TPA ROMएवं प्रस्तावित सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 75000 TPA निकट ग्राम देवपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर स्थित प्रस्तावितपरियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 304 लाख है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायतकी जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही ह। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्यों कि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 07.03.2019 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एंव उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोगमालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची(परिशिष्ट "अ" में संलंग्न) है।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिव कुमार लखारा द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब" के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुरद्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

1.श्री राकेश कुमार मीणा, उप सरपंच, ग्राम पंचायत, देवपुरा निवासी काटडी फला :- ने बताया कि कम्पनी ने गांव की व्यवस्था कम्पलीट कर दी है मगर इसमें बहुत सारी कमियां भी है। लोगों को पता है। स्कूल का ग्राउण्ड है उसके पास में कम्पनी ने वृक्षारोपण के नाम पर जमीन लीज पर ली व इन्होंने व्यावसायिक उपयोग में ले ली है और नही वहां पर वृक्ष है कांटा कर रखा है। कांटे के पास जमीन है। वृक्षारोपण के नाम पर जमीन ले रखी है नहीं तो वहां वृक्ष लगे है और सोप स्टोन भर रखा है पाउडर उड़ता है नुकसान होता है।

वृक्षारोपण के नाम पर लीज ले रखी है, वृक्षारोपण नहीं हुआ है और न ही वहां पर वृक्ष है। धर्मकांटा लगा रखा है। वह भी हम गांव वालों को दिखता है। वृक्ष तो लगाने चाहिए । आज मौके की स्थिति यह है कि पूरा पहाड़ खोद दिया है ऊपर से। जीरो पोईन्ट कहा है। जीरो पोईन्टतो होना चाहिए।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा इकाई के प्रतिनिधि को अपना उत्तर देने हेतु कहा गया।

श्री मोहन लाल पालीवाल कम्पनी हेडने बताया किकम्पनी पिछले 50 साल से अस्त्वि में है। कम्पनी यथा सम्भव जो भी कानून के हिसाब से होना चाहिये उतना वृक्षारोपण कर रही है। इसमें हर साल जो कानून के नोर्म्स के हिसाब से जितना वृक्षारोपण होना चाहिए उतना कर रही है इसमें कोई दो राय नहीं कि सरवाईवर रेंज बहुत बार कम हो जाता है लेकिन हर साल तो कानूनी नोर्म्स के हिसाब से जितना होना होता है वह करती आ रही है उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हमारी लीज के चारों तरफ गार्डन्स है फिर भी अगर सुझाव है गांव में अगर ये उचित जगह बता देंगे तो हम गांव के अन्दर भी कुछ स्थानों को डेजिगनेट करके वृक्षारोपण करवा देंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी श्री शरद सक्सेना के द्वारा मलबे के बारे में पूछने पर

श्री मोहनलाल पालीवाल जी, माईन्स हेडद्वारा बताया गया कि आज की तारीख में हमारी माईन्स को चलते 50 साल हो गये है। नीचे की और रिटेनिंग वाल बना रखी है इसके अलावा अगर किसी वजह से थोडा बहुत मलबा आ भी जाता है तो वहा मशीन भेजकर उससे पहले ही वहां चेक करवा के हटा लेते है।

क्षेत्रीय अधिकारी श्री शरद सक्सेना द्वारा माईन्स पर कार्यरत स्टॉफ के बारे में पूछने पर श्री मोहनलाल पालीवाल जी, माईन्स हेड द्वारा बताया गया कि सक्सेना जी ने पूछा कि माईन्स फेक्ट्री के आस पास के कितने लोगों को रोजगार दे रखा है।

इस पर श्री मोहनलाल पालीवाल जी ने बताया कि वर्तमान में उनके यहां पर 500-600 के आस-पास के लोगो को रोजगार दे रखा है 99 प्रतिशत कर्मचारी आस-पास के

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

गावं के है। सिर्फ टेक्नीकल स्टॉफ, मैनेजर, असिस्टेन्ट मैनेजर – टेक्नीकल स्टॉफ जो यहां पर अवेलेबल नहीं है इसके अलावा आस पास के गांवों के मजदूर हो, ड्राईवर हो, मेकेनिक हो, फिटर हो, ऑपरेटर हो , मेकेनिक हो सभी स्टॉफ आस पास के गांवों से है।

क्षेत्रीय अधिकरी श्री शरद सक्सेना द्वारा पूछने पर श्री मोहनलाल पालीवाल, माईन्स हेड ने बताया कि मेडिकल हेल्प के लिए पीएचसी सरकार की है कभी भी हमारे लायक जो भी डिमाण्ड होगी पूरी करेंगे। कोरोना के टाईम में हमने यथाशक्ति मदद की थी इसके अलावा फुल टाईम एम्बुलेन्स लगा रखी है और डिस्प्ले कर रखा है कि जिस किसी को भी जरूरत हो वो उसकी सेवा ले सकता है। एम्बुलेन्स तथा टाईम टू टाईम मेडिकल चेक अप की व्यदस्था है। मेडिकल केम्प भी लगाते है। स्टॉफ के सदस्यों का मेडिकल चेक अप की व्यवस्था है।

क्षेत्रीय अधिकारी श्री शरद सक्सेना द्वारा मेनेजमेंट से पूछने पर श्री मोहनलाल पालीवाल जी, माईन्स हेड द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में डम्पिंग ऐरिया में हा मलबा डाला जा रहा है जिसके हेतु रिटेनिंग वाल बना रखी है। मलबा डम्पिंग ऐरिया में ही इकट्ठा कर रखा है कोई भी आकर देख सकता है। डम्पिंग ऐरिया के अलावा मलबा अन्य जगह पर नहीं डाला है। नदी एवं माईन्स क्षेत्र के बीच में गांव है उसके पहले खेत है। अगर कहीं कोई समस्या है तो लोकेट करवा कर निवारण करवा दिया जाएगा। कहीं कहीं पर कंक्रीट की वाल बना रखी है । वायर नेट लगा रखी है। अगर कहीं नहीं लगी हो तो वह जगह बता दी जावे जिससे उसका निवारण कर देंगे।

कुछ ग्रामवासियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ठ "स")

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल कियां जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (परिशिष्ठ "द" में संलग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ठ "य" में संलग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(ओ.पी. बुनकर) अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) जिला–उदयपुर	(शरद सक्सेना) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर
अति. जिला कलक्टर उदयपुर	क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल उदयपुर (राज.)

संलग्नक:1

मैसर्स एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग कम्पनी प्रा.लि. (देवपुरा–1), सोप स्टोन माईन्स, (एम.एल.नं. 01/1992, क्षैत्रफल–70.40 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1290106 TPA ROM एवं प्रस्तावित सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 75000 TPA निकट ग्राम–देवपुरा, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 21.06.2022 को 11:30 AM बजे मैसर्स एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग कम्पनी प्रा.लि. (देवपुरा–1), सोप स्टोन माईन्स, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	O. P. Bunkar	ADM, Udaipur	[signature]
2	Sharad Saksena	RO RPCB Udaipur	[signature]
3	Prem chand Lohar.	T. DR. SARADA	[signature]
4	Dr. Aditi Solanki	SO, RPCB Udr.	[signature]
5	Mohan Paliwal	ASDCPL	[signature]
6	B. S. Yadav	ASDCPL	[signature]
7	उदयलाल	देवपुरा	[signature]
8	माधूलाल	देवपुरा	[signature]
9	देवेन्द्र कुमार	"	[signature]
10	ललित कुमार	देवपुरा	[signature]
11	[illegible]	//	[signature]
12	नाथु लाल	"	[signature]
13	कालुलाल वैद		[signature]
14	राजकुमार गारग	उदयपुर	[signature]
15	प्रताप सिंह	"	[signature]
16	शान्तीलाल जैन	//	[signature]
17	देवीलाल	"	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
18	रामा	सांसिया	रामा
19	खेमराज	देवपुरा	खेमराज
20	जीवन राम मीणा	गाँव कोठला	[illegible]
21	प्रेमसिंह	कोठला	प्रेमसिंह
22	प्रेमा जी	कोठला	पेमा
23	राम लाल मेघवाल	देवपुरा	रामलाल
24	[illegible]	A.S.D.S	[illegible]
25	कड़वा	अमरपुरा	कड़वा
	लक्ष्मण लाल	[illegible]	लक्ष्मण
	चोखा	देवपुरा	
	पवन कुमार	पड़ावा	[illegible]
	हीरालाल	देवपुरा	[illegible]
	Krishnajeet Jain	Zeapura	Krishnajeet
	Devendra Singh Ranawat	Devpura	Devendra Singh
	शंकर लाल	नठारा	शंकर
	अर्जुन लाल	नठारा	[illegible]
	सवजी	देवपुरा	सवजी
	धर्मा		धर्मा
	नानजी		
	लक्ष्मण		[illegible]
	केला		केला
	लक्ष्मण	देवपुरा	लक्ष्मण
	कनीरा		
	Dr. Neeraj Srivastava	EGCIPL - Udaipur	[signature]

P.T.O

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	Shyam Lal Sukhwal	EGCIPL, Udaipur	[signature]
	Neelima Nair	EGCIPL	[signature]
	Zakir Hussain	EGCIPL	[signature]
	Shiv Kumar Lakhar	EGCIPL, Udaipur	[signature]
	Mayank Bhadsar	EGCIPL, Udaipur	[signature]

सेवा में

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
उदयपुर (राजस्थान)

RO
आ. 21/6/2022

विषय – गोलछा माईन्स की वजह से धूल मिट्टी उड़ने से ग्रामवासी को राहत दिलाने बाबत

महोदय जी

सविनय निवेदन है ग्राम खाखड़दरा वार्ड नं. 9 में गोलछा माइन्स की वजह से हमारे गांव में आंगनवाड़ी छात्र, विद्यालय मार्ग खराब हो गया है अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करावें। से भारी साधन चलने से रोड की खस्ता हालत है व आने जाने में राहगीर व ग्रामवासीयों को दिक्कत होती है अतः रोड का कार्य दुरुस्त कराने का श्रम करवावें गोलछा माइन्स के मलबा से खेतीबाड़ी में नुकसान होता है राहत दिलाने का श्रम करवावें। हमारे गांव में माइन्स होने से हमारे को रोजगार दिया जावें।

नर्वदा
हिरा

(चन्दा देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत–पाडला
पं.स. जयसमन्द, जि. उदयपुर (राज.)

गणेश लाल
सोहन
पन्नालाल
रितेश
गोपीलाल
कालूलाल
नारायण
रामा
सुरज
Sandeep
रामलाल
गोपाल
रविना
आशा
श्यामलाल
मीरा
दुर्गा
मोनिका
लक्ष्मी
सुनीता
केसरी
लक्ष्मी
लीला
मनिषा
शान्ता लाल
लक्ष्मी
मांगी
निरमा
शान्ता
हकरी
सुन्दरी
अरली
धर्मी
गीता
हकरी
सुगना

सेवा मे

RO
आ/
21/6/2022

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
उदयपुर (राजस्थान)

विषय - गोलछा माईन्स की वजह से धूल मिट्टी उड़ने से ग्रामवासी को राहत दिलाने बाबत

महोदयजी

सविनय निवेदन है ग्राम खाखड़दा वार्ड नं. 9 मे गोलछा माइन्स की वजह से हमारे गांव मे आंगनवाड़ी छत, विद्यालय मार्ग खराब हो गया है अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करावे। से भारी साधन चलने से रोड भी खस्ताहालत मे है आने जाने मे राहगीर व ग्रामवासीयों को दिक्कत होती है अतः रोड का कार्य दुरस्त कराने का श्रम करवावे। गोलछा माइन्स के मलबा से खेती बाड़ी मे नुकसान होता है राहत दिलवे का श्रम करवावे। हमारे गांव मे माइन्स होने से हमारे को रोजगार दिया जावे।

नर्मदा
हिरा

(चन्दा देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत–पाडला
पं.स. जयसमन्द, जि. उदयपुर (राज.)

गणेश लाल
सोहन
पन्नालाल
रितेश
गोपीलाल
कमला
नारण
रामा
सुरज
Sandeep
रामलाल
गोपाल
रविना
आशा
श्यामलाल
मीरा
डरमा
मनिला लक्ष्मी
सुनीता
केसरी
लक्ष्मी
लीला
लक्ष्मी
मनिषा
शान्तीलाल
नाथी
निरमा
शान्ता
हकरी
सुन्दरी
अरली
धर्मी
हकरी
गीता
सुगना

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदयजी
जिला - उदयपुर - राज.

Received during public hearing
21.6.2022

विषय :- ग्राम देवपुरा मे बिलानाम जमीन की लीज करवा कर वृक्षारोपण हेतु जमीन ली थी जो आज व्यवसायिक उपयोग मे ली जा रही है जो पुन सरकारी जमीन घोषित की जाए

महोदयजी

उपरोक्त विषय अन्तर्गत नम्र निवेदन है कि पूर्व मे सरकारी शिविर के माध्यम से श्री शान्तिलाल s/o हीराचन्द जैन व श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा ने वृक्षारोपण हेतु जमीन लीज करवाकर यह जमीन व्यवसायिक उपयोग मे ली जा रही है अत यह लीज खत्म कर वापस सरकारी जमीन घोषित करवाने का कष्ट करावे

दिनांक :- 21-06-2022

Rakesh
विनीत
राकेश कुमार मीणा
उप सरपंच देवपुरा